रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 158] दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 26, 2015/अग्रहायण 5, 1937 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 148
No. 158] DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 26, 2015/AGRAHAYANA 5, 1937 [N.C.T.D. No. 148

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिल्ली, 26 नवम्बर, 2015

2015 का विधेयक सं. 12

कार्यरत पत्रकार एवं अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और विविध उपबन्ध (दिल्ली संशोधन) विधेयक 2015

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिये इसके लागू होने में कार्यरत पत्रकार एवं अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और विविध उपबन्ध अधिनियम, 1955 (1955 का 45) और विविध उपबन्ध अधिनियम, 1955 (1955 का 45) का पुनः संशोधन करने के लिए।

एक

विधेयक

सं. 21(13) न्यूनतम वेतन/2015/वि.स.सं.-VI./वि./7068.—यह दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधान सभा द्वारा भारत के गणराज्य के छियासठवें वर्ष में निम्न प्रकार अधिनियमित किया जाए:—

1. **संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार एवं प्रारम्भ:—**

(1) इस अधिनियम को 'कार्यरत पत्रकार एवं अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और विविध उपबन्ध (दिल्ली संशोधन) अधिनियम, 2015 कहा जा सकेगा।'

(2) यह समूचे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विस्तारित होगा।

(3) यह अपनी अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होगा।

2. **1955 का केन्द्रीय अधिनियम 45 की धारा 17 का संशोधनः–** 1955 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 45 की धारा 17 की उपधारा (1) के बाद उपधारा 1क सन्निविष्ट की जाएगी;

"17(1क) किसी अन्य प्रकार के दण्ड पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो इस अधिनियम के अन्तर्गत नियोक्ता को दिया जा सकेगा, प्राधिकारी, समाचार पत्र के कर्मचारी को देय वेतन की राशि के पांच गुणा से अधिक राशि न हो, क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान का निदेश दे सकता है।"

4. **1955 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45 की धारा 18 का संशोधन :–** 1955 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 45 की धारा 18 की उपधारा (1) में आए शब्द "अर्थदण्ड, जो दो सौ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है" के स्थान पर शब्द "किसी प्रकार का कारावास, जो छः माह तक बढ़ाया जा सकता है, या अर्थदण्ड, जो रुपये 5000 तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों सहित, शर्त यह है कि किसी कर्मचारी को देय वेतन के न भुगतान करने की स्थिति में, नियोक्ता, किसी भी प्रकार के कारावास के दण्ड का भागी होगा, जो छः माह तक बढ़ाया जा सकता है, या अर्थदण्ड, जो रुपये 200 प्रति कर्मचारी प्रतिदिन की दर से बढ़ाया जा सकता है, या दोनों सहित, जब तक यह अपराध जारी रहता है।"

5. **1955 के केन्द्रीय अधिनियम सं0 45 की धारा 18 की उपधारा 1(क)** में आए शब्द "अर्थदण्ड सहित दण्डनीय जो पांच सौ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है" के स्थान पर शब्द "किसी अवधि के लिये किसी प्रकार के कारावास सहित दण्डनीय, जो एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और अर्थदण्ड का भी भागी होगा जो 10,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है; शर्त यह है कि किसी कर्मचारी को देय वेतन के भुगतान न करने की स्थिति में नियोक्ता किसी भी प्रकार के कारावास सहित दण्डनीय होगा, जो एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और अर्थदण्ड, जो एक हजार रुपये प्रति कर्मचारी प्रतिदिन की दर से बढ़ाया जा सकेगा या दोनों सहित, जब तक अपराध जारी रहता है।"

कार्यरत पत्रकार एवं अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और विविध उपबन्ध (दिल्ली संशोधन) विधेयक 2015

उद्देश्यों और कारणों का विवरण

कार्यरत पत्रकारों और अन्य समाचार पत्र कर्मचारियों को वेतन के भुगतान सम्बन्धी और यथोचित वेतन/मज़दूरी दरों सम्बन्धी उपयुक्त उपबन्धों के अभाव के भी कारण कार्यरत पत्रकारों और अन्य समाचार कर्मचारियों ने कुछेक मामले उठाए। केन्द्रीय सरकार ने कार्यरत पत्रकारों और अन्य समाचार पत्र कर्मचारियों द्वारा उठाए गए मुद्दों के समाधान हेतु कुछेक बोर्ड गठित किये गए हैं और इस श्रृंखला में, अन्तिम बोर्ड मजीठा वेतन बोर्ड है जो न्यायाधीश श्री जी. आर. मजीठा की अध्यक्षता में गठित किया गया था। वेतन बोर्ड ने समाचार पत्र कर्मचारियों को देय वेतन/भत्तों के सम्बन्ध में अनेक संस्तुतियां की हैं। मजीठा वेतन बोर्ड की संस्तुतियों के कार्यान्वयन के दौरान वर्तमान अधिनियम में दो प्रमुख त्रुटियां पता लगाई गइ हैं। ये निम्न प्रकार हैं:–

क. उन कर्मचारियों को पर्याप्त क्षतिपूर्ति के लिये कोई प्रावधान नहीं है जिन्होंने अधिनियम की धारा 17 के अन्तर्गत अपने दावे प्रस्तुत किये हैं।

ख. अधिनियम की धारा 18(1) तथा 18(1क) में यथा उपबन्धित अधिनियम में, दण्ड के बहुत ही कम प्रावधान हैं, जो अधिनियम का उल्लंघन करने वाले पर प्रभावशाली अंकुश नहीं लगा सकते हैं।

अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन मुख्यतः दो मामले से सम्बन्धित हैं और अधिनियम की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गए किसी दावे की स्थिति में कर्मचारी को देय राशि के पांच गुणा तक राशि क्षतिपूर्ति दिलवाना प्रस्तावित है।

इसके अतिरिक्त यह धारा 18(1) तथा 18(1क) के अन्तर्गत अधिक कठोर दण्ड प्रावधान/उपबन्ध की व्यवस्था करता है जिसमें कारावास के दण्ड का प्रावधान है तथा इसमें अर्थदण्ड बढ़ाने का भी प्रावधान है जिससे अधिनियम का उल्लंघन करने वालों पर प्रभावी अंकुश लगेगा।

प्रसन्ना कुमार सुर्यदेवरा, सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

NOTIFICATION

Delhi, the 26th November, 2015

Bill No. 12 of 2015

THE WORKING JOURNALISTS AND OTHER NEWSPAPER EMPLOYEES (CONDITIONS OF SERVICE) AND MISCELLANEOUS PROVISIONS (DELHI AMENDMENT) BILL, 2015

A

BILL

Further to amend the Working Journalists and Other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955 (45 of 1955) in it's application to the National Capital Territory of Delhi.

No. 21(13)/Min.Wages /2015/LAS-VI/Leg/7068.— Be it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixty-sixth Year of the Republic of India as follow:-

1. Short title, extent and Commencement:-

(1) This Act may be called 'The Working Journalists and Other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions (Delhi Amendment) Act, 2015'.

(2) It shall extend to whole of the National Capital Territory of Delhi.

(3) It shall come into force from the date of its notification.

2. **Amendment of section 17 of the Central Act No. 45 of 1955:-** After sub-section (1) of the section 17 of the Central Act No. 45 of 1955, sub-section (1A) is inserted;

"17(1A)- without prejudice to any other penalty to which the employer may be liable under this Act, the authority may direct the payment of compensation not exceeding five times of the amount of the wages due to the newspaper employee".

4. **Amendment of section 18 of the Central Act No. 45 of 1955:-**In sub-section (1) of the section 18 of the Central Act No. 45 of 1955, the words "fine which may extend to two hundred rupees." shall be substituted by the words "imprisonment of either description which may extend to six months, or fine which may extend to 5,000 rupees or with both; Provided that in the case of non-payment of the due wages to an employee, the employer shall be punishable with imprisonment of either description which may extend to six months, or fine which may extend up to two hundred rupees per employee per day or with both, till the offence is continued."

5. In sub-section (1A) of the section 18 of the Central Act No. 45 of 1955, the words "punishable with fine which may extend to five hundred rupee." shall be substituted by the words "punishable with imprisonment of either description for a term which may extend to one year, and shall also be liable to fine which may extend to 10,000 rupees; Provided that in the case of non-payment of the due wages to an employee, the employer shall be punishable with imprisonment of either description which may extend to one year, or fine which may extend up to one thousand rupees per employee per day or with both till the offence is continued.

Working Journalist and Other News Paper Employee (Condition of Service) and Misc. Provisions Amendment Bill 2015.

Statement of objects and reasons

The working journalists and other newspaper employees raised several issues regarding payment of salaries and also lack of proper provisions to enforce reasonable wages/salary to working journalists and other newspaper employees. The Central Government constituted several boards to address the issues raised by the working journalists and other newspaper employees and last board in the line was Majithia Wage Board which was constituted under the chairmanship of Justice G.R. Majithia. The Wage Board has given various recommendations in respect of wages/allowances payable to the newspaper employees. During the implementation of the Majithia wage board recommendation two major short comings detected in the present Act. These are:

a. There is no provision for adequate compensation to the employees who have preferred their claims under Section 17 of the Act.

b. There is very meagre penal provisions in the Act as provided in section 18 (1) and Section 18 (1A) of the Act which could not mount effective deterrence for the violators of the Act.

The proposed amendment in the Act basically deal with these two issues and proposed to provide compensation upto 5 times of the amount of wages due to the employee in case a claim is filed under section 17 (1) of the Act.

Further, it provide more stringent penal provision under section 18 (1) and 18 (1A) which include punishment of imprisonment as well as provisions of enhanced fine which will provide a effective deterrence for the violators of the Act.

By providing these provisions the government will intend to provide relief to the working journalists and other newspaper employees by ensuring payment of their legitimate wages including adequate compensation.

PRASANNA KUMAR SURYADEVARA, Secy.

अधिसूचना

दिल्ली, 26 नवम्बर, 2015

2015 का विधेयक सं 13

न्यूनतम वेतन

(दिल्ली) संशोधन विधेयक, 2015

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के लागू होने में इसका संशोधन करने के लिए

एक

विधेयक

सं. 21(13)/न्यूनतम वेतन/2015/वि.स. स.–VI/वि./7073.–जबकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इसके बाद उल्लिखित प्रयोजनों के लिये इसका पुनः संशोधन करना आवश्यक हो गया है;

भारत के गणराज्य के छियासठ वें वर्ष में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधान सभा द्वारा निम्न प्रकार अधिनियमित किया जाए:–

1. **संक्षिप्त शीर्षक, प्रारम्भ एवं विस्तार.**– इस अधिनियम को न्यूनतम वेतन (दिल्ली) संशोधन अधिनियम, 2015 कहा जा सकेगा।

   (2) यह समूचे दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पर लागू होगा।

   (3) यह अपनी प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

2. **1948 के अधिनियम 11 की धारा 2 का संशोधन** .–दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (इसके बाद "मूल अधिनियम") के अनुप्रयोग में इसकी धारा 2 में, —

   (1) उपधारा (ज) के पैराग्राफ (1) के उप–पैराग्राफ (ख) में आए शब्द "उपयुक्त सरकार" के स्थान पर शब्द "दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार" प्रतिस्थापित माने जाएंगे।

3. **1948 के अधिनियम 11 की धारा 3 का संशोधन** .–दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मूल अधिनियम के लागू होने में इसकी धारा 3 में – (1) उपधारा (1) में आए शब्द "उपयुक्त सरकार" के स्थान पर शब्द "दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार" प्रतिस्थापित माने जाएंगे।

   (2) उपधारा (1) के पैराग्राफ (क) परन्तुक में आए शब्द "उपयुक्त सरकार" के स्थान पर शब्द "दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार" प्रतिस्थापित माने जाएंगे।

   (3) उपधारा (1) के पैराग्राफ (ख) के परन्तुक में आए शब्द "उपयुक्त सरकार" के स्थान पर शब्द "दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार" प्रतिस्थापित माने जाएंगे।

   (4) उपधारा (1क) में आए शब्द "उपयुक्त सरकार" जहां कहीं भी आए, के स्थान पर शब्द "दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार" प्रतिस्थापित माने जाएंगे।

   (5) उपधारा (2) में आए शब्द "उपयुक्त सरकार" के स्थान पर शब्द "दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार" प्रतिस्थापित माने जाएंगे।

4. **1948 का अधिनियम 11 की धारा 4 का संशोधन** .–दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मूल अधिनियम के लागू होने में इसकी धारा 4 में ,–

(3) उपधारा (1) में आए शब्द "उपयुक्त सरकार" के स्थान पर शब्द "दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार" प्रतिस्थापित माने जाएंगे।

(4) उपधारा (1) के पैराग्राफ (झ) में आए शब्द "उपयुक्त सरकार" के स्थान पर शब्द "दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार" प्रतिस्थापित माने जाएंगे।

(3) उपधारा (2) के बाद निम्नलिखित शब्द सन्निविष्ट किए जाएंगे:

"(3) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार पूर्वोक्त प्रयोजनों के अन्तर्गत वेतन की न्यूनतम दरें निर्धारण या संशोधन में कामगार के लिये अपेक्षित कौशल उसे सौंपे गए कार्य का परिश्रम, कामगार के जीवन निर्वाह का खर्चा तथा ऐसी अनघटक, जो वेतन की न्यूनतम दरों के निर्धारण/संशोधन से संबंधित हैं, जैसा सरकार उपयुक्त समझती हो।

5. **1948 के अधिनियम 11 की धारा 5 का संशोधन**.–दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मूल अधिनियम के लागू होने में इसकी धारा 5 में,–

(1) उपधारा (1) में आए शब्द "उपयुक्त सरकार" के स्थान पर शब्द "दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार" प्रतिस्थापित माने जाएंगे।

(2) उपधारा (2) में आए शब्द "उपयुक्त सरकार" के स्थान पर शब्द "दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार" प्रतिस्थापित माने जाएंगे।

(3) उपधारा (2) के परन्तुक में आए शब्द "उपयुक्त सरकार" , जहां कहीं ये आएं, के स्थान पर शब्द "दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार" प्रतिस्थापित माने जाएंगे।

6. **1948 के अधिनियम 11 की धारा 7 का संशोधन**.–दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए मूल अधिनियम के लागू होने में इसकी धारा 7 में आए शब्द "उपयुक्त सरकार" के स्थान पर शब्द "दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार" प्रतिस्थापित माने जाएंगे।

7. **1948 के अधिनियम 11 की धारा 9 का संशोधन**.–दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिये मूल अधिनियम लागू होने में इसकी धारा 9 में आए शब्द "उपयुक्त सरकार" के स्थान पर शब्द "दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार" प्रतिस्थापित माने जाएंगे।

8. **1948 के अधिनियम 11 की धारा 10 का संशोधन**.–दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिये मूल अधिनियम लागू होने में इसकी धारा 10 की उपधारा (1) में आए शब्द "उपयुक्त सरकार" के स्थान पर शब्द "दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार" प्रतिस्थापित माने जाएंगे।

9. **1948 के अधिनियम 11 की धारा 11 का संशोधन**.–दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मूल अधिनियम के लागू होने में इसकी धारा 11 में ,–

(1) उपधारा (1) में आए शब्द "नकदी में" के स्थान पर शब्द "कर्मचारियों के बैंक खाते में इसे इलेक्ट्रोनिकली या अकाउंट पेइ चैक द्वारा जमा करना" प्रतिस्थापित माने जाएंगे।

(2) उपधारा (1) के बाद निम्नलिखित परन्तुक सन्निविष्ट किया जाएगा:

"शर्त यह है कि दिहाड़ी वेतन आधार पर कार्यरत कामगारों के वेतन का भुगतान, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी सरकार द्वारा समय–समय पर यथा अधिसूचित न्यूनतम वेतन से कम न हो, नकदी में भुगतान किया जा सकता है।

आगे उपबन्ध है कि विशेष परिस्थितियां, जो नियोक्ता के नियंत्रण से परे हैं, जैसे–संस्थापना में आग लगना, प्राकृतिक आपदाएं, संस्थापना के नियोक्ता या निदेशकों की मृत्यु और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार द्वारा यथा निर्धारित ऐसी अन्य परिस्थितियों में, वेतन का भुगतान नकदी में किया जा सकेगा।"

(3) उपधारा (2) में आए शब्द "उपयुक्त सरकार" के स्थान पर शब्द "दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार" प्रतिस्थापित माने जाएंगे।

(4) उपधारा (3) में आए शब्द "उपयुक्त सरकार" के स्थान पर शब्द "दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार" प्रतिस्थापित माने जाएंगे।

10. **1948 के अधिनियम 11 की धारा 13 का संशोधन**.–दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार में मूल अधिनियम के लागू होने में, इसकी धारा 13 की उपधारा (1) में आए शब्द "उपयुक्त सरकार" के स्थान पर शब्द "दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार" प्रतिस्थापित माने जाएंगे।

11.**1948 के अधिनियम 11 की धारा 14 का संशोधन.**—दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार के लिये मूल अधिनियम के लागू होने में इसकी धारा 14 में संशोधन,—

(1) उपधारा (1) में आए शब्द "नियोक्ता इस अधिनियम के अन्तर्गत या उस समय विद्यमान उपयुक्त सरकार की किसी विधि के अन्तर्गत निश्चित समय पर भत्ते की दर से अधिक दर पर, जो भी अधिक हो, किए गए कार्य के लिये उसे प्रत्येक घंटे या किसी घंटे के भाग के लिये भुगतान करेगा" के स्थान पर शब्द "नियोक्ता इस अधिनियम के अन्तर्गत या उस समय विद्यमान दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार की किसी अन्य विधि के अन्तर्गत निश्चित वेतन की सामान्य दर से, जो दो गुणा से कम न हो, जो भी अधिक हो, पर भुगतान करेगा" प्रतिस्थापित माने जाएंगे।

12. **1948 के अधिनियम 11 की धारा 20 का संशोधन.**— दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी में मूल अधिनियम के लागू होने में इसकी धारा 20 में,—

(1) उपधारा (2) में शब्द "अथवा कोई निरीक्षक" के बाद निम्नलिखित शब्द सन्निविष्ट किए जाएगें **"अथवा कामगार द्वारा विधिवत् प्राधिकृत किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा"**

(2) 1948 के केन्द्रीय अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (3) के बाद उपधारा (3क) सन्निविष्ट की जाएगी;

"(3क) उपधारा (2) के अन्तर्गत कामगार द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में कार्यवाही या जांच की देरी के दौरान कामगार की छंटनी, पदच्यूत, पद से मुक्त नहीं की जाएगी/किया जाएगा या जिस प्राधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र है, उसके पूर्व अनुमोदन के बिना अस्थाई छंटनी नहीं की जाएगी।

13.**1948 के अधिनियम 11 की धारा 22 का संशोधन.** दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिये मूल अधिनियम के लागू होने में इसकी धारा 22 में आए शब्द "पांच सौ रूपये" निम्नलिखित शब्द सन्निविष्ट किए जाएंगे; पचास हज़ार रुपये, या 3 वर्ष का कारावास या दोनों।"

14. **1948 के अधिनियम 11 की धारा 22क का संशोधन.**— दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिये मूल अधिनियम के लागू होने में इसकी धारा 22क में आए शब्द "पांच सौ रुपये" के लिए निम्नलिखित शब्द सन्निविष्ट किए जाएंगे; बीस हज़ार रुपये, या 1 वर्ष का कारावास या दोनों।"

15. **1948 के अधिनियम 11 की धारा 22ख का संशोधन.**—1948 के अधिनियम 11 की धारा 22(ख) की उपधारा 2 के बाद उपधारा (3) जोड़ी जाएगी "अधिनियम की धारा 22(क) एवं (ख) के अन्तर्गत जिस न्यायालय के समक्ष अभियोग सम्बन्धी शिकायत की गई है, वह न्यायालय शिकायत होने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर इसका निपटान करेगा।

16. धारा 31(क) को सन्निविश्ट करना—मूल अधिनियम की धारा 31 के पश्चात् निम्न को सन्निविष्ट किया जायेगा—

31क. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार द्वारा यथानिर्धारित पद्धति से वेबसाइट या वेब पोर्टल पर कर्मचारी का विवरण अपलोड करना।

न्यूनतम वेतन (दिल्ली) संशोधन विधेयक, 2015

उद्देश्यों और कारणों का विवरण

गुजरात और राजस्थान जैसे कुछेक राज्य ने न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 को और प्रभावशाली बनाने के लिये राज्यों ने इसमें संशोधन किए हैं । मुख्यतः दण्ड बढ़ाने और अभिलेख का इलेक्ट्रोनिक रखरखाव प्रारम्भ करने के लिये और अनुपालन सुगम बनाने पर विचार किया गया है। कामगारों द्वारा न्यूनतम वेतन वास्तव में प्राप्त किया गया है इसे सुनिश्चित करने के लिये इन राज्य सरकारों ने कामगारों को वेतन नकद भुगतान करने के स्थान पर उनके बैंक खाते में सीधे अन्तरण किया जाता है। भारत सरकार के वेतन विधेयक की प्रस्तावित श्रमिक संहिताओं में इसी प्रकार के उपबन्ध भी सम्मिलित किए गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार कामगारों के वेतन की न्यूनतम दरों में से एक उच्चतम दर सुनिश्चित करने के लिये ऐसा विधायी कानून पारित कराना चाहती है, जो न्यूनतम मज़दूरी कानून के अधिक प्रभावी क्रियान्वयन के पक्ष में हों।

भिन्न-भिन्न प्रकार/श्रेणी वर्ग के कामगारों के लिये वेतन की न्यूनतम दरों की वास्तविक रूप में जांच करने और निर्धारण हेतु वेतन निर्धारण के सभी आवश्यक घटकों की वास्तविक जांच की जाए, जिसमें किसी कामगार की केवल मूलभूत आवश्यकताएं सम्मिलित न हों, अपितु इसमें भोजन, आवास, कपड़ा, बच्चों के लिये शिक्षा, चिकित्सा आवश्यकताएं जैसे कल्याणकारी कार्य एवं सामाजिक दायित्व भी सम्मिलित हों जिनका सामान्यतः उनके लिए अनुसरण किया जाता है और अपनाया जाता है, जो सभी उनकी कमाई पर निर्भर होते हैं।

न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करने के लिये दण्ड बढ़ाना और केवल लाभ सीधे अन्तरण करने के रूप में विधायी परिवर्तन करने पर्याप्त नहीं होंगे कि इस लाभप्रद श्रमिक कल्याण कानून के अन्तर्गत सभी कामगार लाए गए हैं। यह आम बात बन गई है कि बहुत सारी संस्थापनाओं में बहुत सारे ऐसे कामगार हैं, जिन्हें मज़दूरी की न्यूनतम दरों से भी कम दरों पर तैनात किया गया है और ताकि अधिनियम के उपबन्धों के अनुपालन से बचा जा सके। ऐसे कामगारों को प्रायः किसी प्रकार का प्रमाण या

प्रलेख जारी नहीं किये जाते हैं जिससे 'नियोक्ता–कर्मचारी' के बीच सम्बध स्थापित किया जा सके। हालांकि ये न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 और इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों उपबन्धों के अन्तर्गत विधिक निर्धारित प्रलेख/अभिलेख है। विधिक और नियोक्ताओं को यह अभिलेख/प्रलेख बनाने अनिवार्य होते हैं।

प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा, सचिव

NOTIFICATION

Delhi, the 26th November, 2015

Bill No. 13 of 2015

MINIMUM WAGES

(DELHI) AMENDMENT BILL, 2015

A Bill to amend the Minimum Wages Act, 1948, in its application to the National Capital Territory of Delhi;

No. 21 (13)/Min. Wages/2015/LAS-VI/ Leg./7073.—Whereas, it is expedient further to amend the Minimum Wages Act, 1948, in its application to the National Capital Territory of Delhi, for the purposes hereinafter appearing;

Be it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixty sixth year of the Republic of India as follows:-

1. **Short title, extent and commencement.**—(1) This Act may be called the Minimum Wages (Delhi) Amendment Act, 2015.

   (2) It extends to the whole of the National Capital Territory of Delhi.

   (3) It shall come into force from the date of its notification.

2. **Amendment of Section 2 of Act 11 of 1948.**—In Section 2 of the Minimum Wages Act, 1948 (hereinafter "Principal Act"), in its application to the National Capital Territory of Delhi,--

   (1) in Sub-paragraph (b) of Paragraph (i) of Sub-section (h), for the words "appropriate government", the words "the Government of the National Capital Territory of Delhi" shall stand substituted.

3. **Amendment of Section 3 of Act 11 of 1948.**-In Section 3 of the Principal Act, in its application to the National Capital Territory of Delhi,--

   (1) in Sub-section (1), for the words "appropriate government", the words "the Government of National Capital Territory of Delhi" shall stand substituted.

   (2) in proviso to Paragraph (a) of Sub-section (1), for the words "appropriate government", the words "the Government of the National Capital Territory of Delhi" shall stand substituted.

   (3) in proviso to Paragraph (b) of Sub-section (1), for the words "appropriate government", the words "the Government of the National Capital Territory of Delhi" shall stand substituted.

   (4) in Sub-section (1A), for the words "appropriate government", wherever they occur, the words "the Government of the National Capital Territory of Delhi" shall stand substituted.

   (5) in Sub-section (2), for the words "appropriate government", the words "the Government of the National Capital Territory of Delhi" shall stand substituted.

4. **Amendment of Section 4 of Act 11 of 1948.**-In Section 4 of the Principal Act, in its application to the National Capital Territory of Delhi,--

   (1) in Sub-section (1), for the words "appropriate government", the words "the Government of National Capital Territory of Delhi" shall stand substituted.

   (2) in Paragraph (i) of Sub-section (1), for the words "appropriate government", the words "the Government of the National Capital Territory of Delhi" shall stand substituted.

   (3) After sub-section (2), the following shall be inserted:

   "(3)The Government of National Capital Territory of Delhi, in fixing or revising the minimum rates of the wages under foregoing sub-sections, shall take into account the skill required, the arduousness of the work assigned to the worker, the cost of living of the worker, ***and other such components which are related to fixing/revising minimum rates of wages as the Govt. may think appropriate.***

5. **Amendment of Section 5 of Act 11 of 1948.**-In Section 5 of the Principal Act, in its application to the National Capital Territory of Delhi,--

(1) in Sub-section (1), for the words "appropriate government", the words "the Government of National Capital Territory of Delhi" shall stand substituted.

(2) in Sub-section (2), for the words "appropriate government", the words "the Government of National Capital Territory of Delhi" shall stand substituted.

(3) in proviso to Sub-section (2), for the words "appropriate government", wherever they occur, the words "the Government of National Capital Territory of Delhi" shall stand substituted.

6. **Amendment of Section 7 of Act 11 of 1948**.-In Section 7 of the Principal Act, in its application to the National Capital Territory of Delhi, for the words "appropriate government", the words "the Government of National Capital Territory of Delhi" shall stand substituted.

7. **Amendment of Section 9 of Act 11 of 1948**.-In Section 9 of the Principal Act, in its application to the National Capital Territory of Delhi, for the words "appropriate government", wherever they occur, the words "the Government of National Capital Territory of Delhi" shall stand substituted.

8. **Amendment of Section 10 of Act 11 of 1948**.-In Section 10 of the Principal Act, in its application to the National Capital Territory of Delhi, in Sub-section (1), for the words "appropriate government", the words "the Government of National Capital Territory of Delhi" shall stand substituted.

9. **Amendment of Section 11 of Act 11 of 1948**.-In Section 11 of the Principal Act, in its application to the National Capital Territory of Delhi,--

(1) in Sub-section (1), for the words "in cash", the words "by depositing the same in the bank account of the employees, electronically or by ***Accounts payee*** cheque" shall be substituted.

(2) After Sub-section (1), the following proviso shall be inserted:

"Provided that payment of wages to the workers employed on daily wages basis, not less than minimum wages as notified from time to time by the Government of National Capital Territory of Delhi may be made in cash .

Provided further that in special circumstances which are beyond the control of employer like- fire in the establishment, natural calamities, death of employer or director(s) of the establishment and other such circumstances as prescribed by Government of National Capital Territory of Delhi, the payment of wages may be made in cash".

(3) in Sub-section (2), for the words "appropriate government", the words "the Government of National Capital Territory of Delhi" shall stand substituted.

(4) in Sub-section (3), for the words "appropriate government", wherever they occur, the words "the Government of National Capital Territory of Delhi" shall stand substituted.

10. **Amendment of Section 13 of Act 11 of 1948**.-In Section 13 of the Principal Act, in its application to the National Capital Territory of Delhi, in Sub-section (1), for the words "appropriate government", the words "the Government of National Capital Territory of Delhi" shall stand substituted.

11. **Amendment of Section 14 of Act 11 of 1948**.-In Section 14 of the Principal Act in its application to the National Capital Territory of Delhi,--

(1) in Sub-section (1), for the words "the employer shall pay him for every hour or for part of an hour so worked in excess at the overtime rate fixed under this Act or under any law of the appropriate Government for the time being in force, whichever is higher.", the words "the employer shall pay him for every hour or for part of an hour so worked in excess at the overtime rate fixed under this Act which shall not be less than two times of the normal rate of wages fixed under this Act or under any other law of the Government of NCT of Delhi for the time being in force, whichever is higher." shall stand substituted.

12. **Amendment of Section 20 of Act 11 of 1948**.-In Section 20 of the Principal Act, in its application to the National Capital Territory of Delhi,--

(1) in Sub-section (2), after the words "or any Inspector," the following words shall be inserted, "or *by any person or any organization duly authorized by the worker* "

(1) *After sub-section (3) of the section 20 of the Central Act No. 11 of 1948 the sub-section(3A) is inserted;*

"(3A)-During the pendency of the proceeding or inquiry in the application preferred by the workman under sub-section (2), the workman shall not be retrenched, dismissed, terminated or laid-off without the prior approval of the Authority before whom the application is pending.

13. **Amendment of Section 22 of Act 11 of 1948**.-In Section 22 of the Principal Act, in its application to the National Capital Territory of Delhi, for the words "five hundred rupees" the following words shall be inserted, "fifty thousand rupees or ***imprisonment of 3 years or both".***

14. **Amendment of Section 22A of Act 11 of 1948.**-In Section 22A of the Principal Act, in its application to the National Capital Territory of Delhi, for the words "five hundred rupees" the following words shall be inserted, "twenty thousand rupees or ***imprisonment of 1 year or both".***

15. **Amendment of section 22 B of Act 11 of 1948 :** —After sub-section (2) of Section 22 (B) of Act 11 of 1948, subsection (3) shall be added "the court before whom the prosecution complaint is made under Section 22 (a) and (b) of the Act shall dispose of the same within a period of three months from the date of making of the complaint.

16. **Insertion of Sections 31A -**In the principal Act, after Section 31, the following shall be inserted.

31A. Uploading of employee data on website or web portal in the manner as may be prescribed by Government of National Capital Territory of Delhi.

MINIMUM WAGES (DELHI) AMENDMENT BILL, 2015

Statement of Objects and Reasons

Several states such as Gujarat and Rajasthan have effected state amendments in the Minimum Wages Act, 1948, to enhance the efficacy of the Act. Primarily, the focus has been on enhancing the penalty as well as making compliance easier for the employers by introducing electronic maintenance of records. To ensure that the benefit of minimum wages actually is received by the workers, these state amendments have substituted cash payments with a direct transfer of the wages into the bank account of the workers. The proposed Labour Codes on Wages Bill of the Government of India has also included such similar provisions. The Government of National Capital Territory, having ensured one of the highest levels of minimum rates wages of workers is intended to adopt such legislative trends, which are in favour of a more efficacious implementation of the minimum wages law.

In order to realistically examine and fix minimum rates of wages for different class/category of workers all necessary components of 'wage determination' which shall include not only basic calorie needs of a workman but also holistically shall include food, shelter, clothing, education for children, medical needs and other social commitments which are generally necessarily followed and adopted by all depending upon their financial earning capacity.

Legislative changes in the form of enhanced penalties and direct benefit transfer alone shall not be adequate to ensure that all workers are brought under the cover of this beneficial labour welfare enactment. It is common knowledge that in many establishments there are many workers who are engaged on amounts less than minimum rates of wages and in order to avoid compliance with the provisions of the Act, such workers are often not issued any proof or documents which could establish the 'employer-employee' relationship although these are statutorily prescribed documents/records under the provision of Minimum Wages Act, 1948 and rules framed there under and it is obligatory on the part of employers to maintain these records/documents.

PRASANNA KUMAR SURYADEVARA, Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.